राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1653/2014.....जिला.....कोटा.....

उनवान–मैसर्स इन्फोकॉम (इण्डिया) प्रा.लि. कोटा बनाम् वा.क.अ., वृत्त–बी, कोटा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2014	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर, कैम्प–कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें वा.क.अ., वृत्त–बी, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् निर्धारण वर्ष **2007–08 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 20.01.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से रू.69,56,480/– के विरूद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, उक्त की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री डी.कुमार, एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा बहस हेतु दिनांक 19.11.2014 को उपस्थित हुये । उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने संबंधी पारित आदेश में किसी प्रकार के कारणों को अंकित नहीं किया गया है, जो अस्पष्ट आदेश (Non-speaking order) की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आधार पर ही पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। गुणावगुण पर तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर कर चुकाकर कच्चा माल क्रय किया गया जिसे विनिर्माण में काम में लिया गया है जिसमें विनिर्माण प्रकिया के दौरान प्राप्त सह–उत्पाद भी प्राप्त हुये है । अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त क्रीत कच्चे माल के कुल क्रीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ विधिक प्रावधानानुसार ही क्लेम किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्क के इस संबंध में *विशिष्ट रूप से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. वैट रिवीजन पिटीशन कमांक 135/2013 मैसर्स बृजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 03.09.2014 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में कच्चा माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल की बिक्री मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने संबंधी प्रतिपादित विधि के आलोक में कर, बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 810/2008/हनुमानगढ निर्णय दिनांक* लगातार.....2	

अपील संख्या 1653/2014/कोटा

20.11.2014

21.02.2013 में जिसमें माननीय पीठ द्वारा समान तथ्यों पर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया था, पर निर्णय दिनांक 03.09.2014 पारित कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी रिवर्स टैक्स की मांग राशि की वसूली पर रोक लगायी गयी है । अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, वसूली योगय मांग राशि रू.69,56,480/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के निर्णय के प्रकाश में, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व हस्तगत प्रकरण के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. वैट रिवीजन पिटीशन कमांक 135/2013 मैसर्स बृजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 03.09.2014 का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपर्युक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी रिवर्स टैक्स की वसूली पर रोक आदेश पारित किया गया है "....In the meanwhile, demand raised by the Commercial Taxes Officer, Anti-Evasion, Hanumangarh, vide notice dated 23 July 2007 shall remain stayed subject to the condition that the ***petitioner assessee shall furnish a solvent security equivalent to the demand raised therein to the satisfaction of assessing authority*** अतः प्रोद्धरित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टांत में पारित निर्णय के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी रिवर्स टैक्स व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि पर रू.69,56,480/– की वसूली कार्यवाही पर सशक्त अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. वैट रिवीजन पिटीशन कमांक 135/2013 मैसर्स बृजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 03.09.2014 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, ***solvent security equivalent to the demand*** प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है । रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

20.11.14
(आशा कुमारी)
सदस्य

20.11.2014
(मदन लाल)
सदस्य